नहीं भी आ रही है, ...
रेवाया सिनाफ किया जाना है। पत्रावली
वास्ते शहादत प्रतिवादी हेतु दिनांक 30-5-1
को पेश हो।

प्रतिवादी

(3) ... पुना

(4) जसकंवर

(1) [illegible]

(5) लीला w/o हमीरा

(2) [illegible]

(8) काणी (7)

(4) रामलाल

(2) भंवरलाल

(3) हिराराम

(6) मेगाराम

भंवरलाल की ओर से मैंने फोन पर सम्भाल ले ली है। (T)

मेगाराम

9/5/16 पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प मांडी जाखेड़ी में
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाना सुनाया गया। सिर्फ फर्द अलग से बनाया
जाकर पत्रावली व पत्रावली इसी रजिस्टर कायम
शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता रिकॉर्ड भण्डार
जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट, माण्डीगढ़)

पीठासीन अधिकारी– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या–22/2004

तारीख निर्णय– / /2016

वादीगण :–

1– रामा पुत्र पेमाजी, आयु– वयस्क,
2– भंवरलाल पुत्र मगनारामजी, आयु– वयस्क,
3– हीरा पुत्र पेमाजी, आयु– वयस्क,
4– भगाराम पुत्र भीमाजी, आयु– वयस्क,
5– पनाराम पुत्र मगनारामजी, आयु– वयस्क,
6– मेगाराम पुत्र कसनाजी, आयु– वयस्क,
7– भंवरलाल पुत्र कसनाजी, आयु– वयस्क,
8– हेमी बाई बेवा कसनाजी, आयु– वयस्क,
9– लाली बेवा मगनारामजी, आयु– वयस्क,
जातिगण तमाम– जाट, निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– हिमता पुत्र वरदा, आयु– वयस्क,
2– बाबूडा पुत्र चुना, आयु– वयस्क,
3– चुना पुत्र तेजा, आयु– वयस्क,
4– सदापुत्र तेजा, आयु– वयस्क,
5– तीजो पत्नि हंसीया पुत्र तेजा, आयु– वयस्क, जातिगण तमाम– जाट, निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: वाद अन्तर्गत धारा–188 राज0 काश्त0 अधिनियम,1955 :–

उपस्थिति–

वादीगण की ओर से– वकील श्री हुकमसिंह सोलंकी।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री जगदीशचन्द्र बोहरा।

–: निर्णय :– दिनांक– 9/5/2016

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी मौजा सरहद

---क्रमशः पेज– 2 पर.........

6

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

ग्राम–माण्डीगढ, पटवार हल्का– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर– 673 रकबा– 0.04 हैक्टर वादीगण की खातेदारी आधिपत्य की है, जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है, जो सलंग्न प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट प्रमाणित है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी मे नाजायज दखल हस्तक्षेप करने पर आमादा है । प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से विवादित आराजी पर कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण के उक्त अवैध कृत्य से वादीगण को अकथनीय क्षति होती है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के काश्त कब्जा उपायोग उपभोग मे प्रतिवादीगण कोई दखल, हस्तक्षेप नही करे न किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजी मे से होकर जबरदस्ती रास्ता नही निकाले एवं कोई तोड–फोड , खुदाई एवं नुक्शान नही करे एवं वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नही करे। प्रतिवादीगण उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से ही करावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली शहादत प्रतिवादी हेतू चल रही है।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे उपस्थित हुए एवं उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया एवं मय वकुलाय पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 673 रकबा– 0.04 हैक्टर किस्म– गै.मु. रास्ता मे हम प्रतिवादी वादी के साथ यह राजीनामा करते है कि कोई दखल, हस्तक्षेप नही करेगे व न ही करायेगे। लोक अदालत मे निस्तारण करावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजीनामा के जरिये डिक्री पारित करने हेतू सहमत हुए। राजीनामा तसदीक किया गया।

–: आदेश :–

अतः जरिये राजीनामा के वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक राजीनामा वाद हाजा मे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है कि – मौजा सरहद ग्राम माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) स्थित वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 673 रकबा– 0.04 हैक्टर मे वादीगण के काश्त कब्जा उपायोग उपभोग मे प्रतिवादीगण कोई दखल, हस्तक्षेप नही करे न किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजी मे से होकर जबरदस्ती रास्ता नही निकाले एवं कोई तोड–फोड , खुदाई एवं नुक्शान नही करे एवं वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नही करे। प्रतिवादीगण

---कमशः पेज– 3 पर.........

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से ही करावे। तदनुरूप डिकी पर्चा मुर्तित हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी

निर्णय आज दिनांक 09-05-2016 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(पर्वतसिंह चुण्डावत)
देसूरी (पाली)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी

–: डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :–

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट,..................)

पीठासीन अधिकारी– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (RAS)

राजस्व मूल वाद संख्या–22 / 2004
तारीख निर्णय– / / 2016

वादीगण :–

1– रामा पुत्र पेमाजी, आयु– वयस्क,
2– भंवरलाल पुत्र मगनारामजी, आयु-- वयस्क,
3– हीरा पुत्र पेमाजी, आयु– वयस्क,
4– भगाराम पुत्र भीमाजी, आयु– वयस्क,
5– पनाराम पुत्र मगनारामजी, आयु– वयस्क,
6– मेगाराम पुत्र कसनाजी, आयु– वयस्क,
7– भंवरलाल पुत्र कसनाजी, आयु– वयस्क,
8– हेमी बाई बेवा कसनाजी, आयु– वयस्क,
9– लाली बेवा मगनारामजी, आयु– वयस्क,
जातिगण तमाम– जाट, निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: विरूद्ध :–

प्रतिवादीगण–

1– हिमता पुत्र वरदा, आयु– वयस्क,
2– बाबूडा पुत्र चुना, आयु– वयस्क,
3– चुना पुत्र तेजा, आयु– वयस्क,
4– सदापुत्र तेजा, आयु– वयस्क,
5– तीजो पत्नि हंसीया पुत्र तेजा, आयु– वयस्क, जातिगण तमाम– जाट, निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

–: वाद अन्तर्गत धारा–188 राज0 काश्त0 अधिनियम,1955 :–

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या–22 / 2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री हुकमसिंह सोलंकी मिनजानिब मुद्धई व वकील श्री जगदीशचन्द्र बोहरा मिनजानिब मुद्धायलाहीम पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि–अतः जरिये राजीनामा के वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक राजीनामा वाद हाजा मे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की जाती है कि – मौजा सरहद ग्राम माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) स्थित वादीगण की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 673 रकबा– 0.04 हैक्टर

–––कमशः पेज– 2 पर...........

उपखण्ड अधिकारी
...री (पाली)

मे वादीगण के काश्त कब्जा उपायोग उपभोग मे प्रतिवादीगण कोई दखल, हस्तक्षेप नही करे न किसी अन्य से करावे एवं विवादित आराजी मे से होकर जबरदस्ती रास्ता नही निकाले एवं कोई तोड–फोड , खुदाई एवं नुक्शान नही करे एवं वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नही करे। प्रतिवादीगण उक्त कृत्य न तो स्वयं करे न किसी अन्य से ही करावे। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ....को अदा करे।

बसब्ब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 3 माह 5 सन् 2016

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

औहदा..................सूरी (पाली)

मुद्धई	रूपयां पैसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)